न्यायालय तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जीनगर

प्रकरण संख्या 14/2025

प्रार्थी :- श्री दौलतसिंह मनोजकुमार पिता स्व.भंवरलाल दरोगा निवासी मण्डावरी तह. बेगूँ

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राज.भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 09.03.2026

:: आदेश::

प्रार्थी श्री दौलतसिंह मनोजकुमार पिता स्व.भंवरलाल दरोगा निवासी मण्डावरी तहसील बेगूँ ने दिनांक 11.09.2025 को न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी मे खाता संख्या 337 आ.न.322 रकबा 1.6680 हैक्टर मे हम प्रार्थीगण के दादाजी स्वं.मुलचंद पिता बालु दरोगा निवासी मण्डावरी का उपरोक्त आराजी मे 1/5 हिस्सा होकर हमारे काश्त मे है तथा इसी प्रकार ग्राम मण्डावरी मे खाता संख्या 499 मे खसरा सं.1009 रकबा 0.0570 हैक्टर गै.मु.कुँआ है जिसमे मुलचंद दरोगा का 1/30 हिस्सा है।मूलचंद की दिनांक 17.12.2022 को मृत्यु हो चुकी है तथा उनके विधिक वारिसान पुत्र भंवरलाल पुत्री गीताबाई लीलाबाई धापुबाई है। जिनमे से पुत्र भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। भंवरलाल के वारिसान पुत्र दौलतसिंह मनोज कुमार पुत्रीयाँ समताबाई मंजुबाई तथा पत्नि वगदीबाई है। पुत्री गीताबाई की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान पुत्री सीमावाई मधु है। हम प्रार्थीगण के दादाजी स्वं.मूलचंद ने दिनांक 14.12.2022 को एक नोटेरीशुदा अपंजीकृत वसीयत हम प्रार्थीगण के हक मे निष्पादित करवाई थी। मूलचंद की मृत्यु होने के बाद उनका जाति रिवाज के मुताबिक काज करियावर पिण्डदान व गंगोज आदि कार्यक्रम हम प्रार्थीगण ने किया तथा उनकी देनदारिया एंव लेनदारिया हमारे द्वारा ही की गई एंव दादाजी की मृत्यु के बाद उनकी चल अचल सम्पति के एकमात्र मालिक व काबिज हम प्रार्थीगण है।अतः वसीयत के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजियात हम प्रार्थीगण के खाते दर्ज फ़रमाई जावे व मूलचंद का नाम हटाया जावे ।

तहसीलदार (मु.अ.)
बेगूँ, जिला–चित्तौडगढ

प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा -135(2) के तहत दर्ज कर वसीयत के पक्षकारान एंव गवाहान को तलब किया गया ।वसीयत के गवाह मूलचन्द की पुत्री धापुबाई पत्नि भंवरसिंह दरोगा निवासी पारसोली ने उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि मूलचन्द द्वारा एक वसीयतनामा अपने जीवनकाल मे दौलतसिंह मनोजकुमार के पक्ष मे दिनांक 14.12.2022 को निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाई है। मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। मूलचन्द के स्वर्गवास के बाद से उनकी समस्त चल अचस सम्पति पर वसीयतग्रहीतागण ही काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। हमारे पिताजी द्वारा जो वसीयत वसीयतग्रहीतागण के पक्ष मे की थी उसकी जानकारी मुझे है। वसीयत के आधार पर वसीयतग्रहीतागण का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित कर दिया जावे मुझे कोई आपत्ति नही है। इसी प्रकार मूलचन्द की पुत्री लीलाबाई पत्नि शंकरसिहं निवासी टहला मांडलगढ ने भी शपथपत्र प्रस्तुत कर धापुबाई द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो की पुष्टी की है।

वसीयत के गवाह रामचन्द्र पिता भूरालाल धाकड निवासी मण्डावरी ने भी इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि मूलचन्द पिता बालू दरोगा निवासी मण्डावरी ने अपनी चल अचल सम्पति का अपने दोनो पोतो दौलतसिंह मनोजकुमार पिता भंवरलाल दरोगा के पक्ष मे दिनांक 14.12.2022 को वसीयत निष्पादित करा नोटेरी पबलिक से प्रमाणित कराई जिस पर मुझ शपथकर्ता एंव शिवलाल पिता मदनलाल सेन निवासी मण्डावरी ने अपनी साख दी थी है। मूलचन्द का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात से वसीयतग्रहीतागण दौलतसिंह व मनोज कुमार दोनो मूलचन्द की खातेदारी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा मूलचन्द के नाम दर्ज भूमि को वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। मुलचन्द के एकमात्र पुत्र भंवरलाल है जिनका देहान्त हो चुका है तथा वसीयतग्रहीतागण दौलतसिंह मनोजकुमार ही स्व.मूलचन्द के वारिसान है । मूलचन्द द्वारा निष्पादित करवाई गई वसीयत मे उनकी पुत्रियो की सहमति रही है।मूलचन्द ने अपनी पुत्रियो के समस्त सामाजिक कार्य भी कर दिये है। स्वं.मूलचन्द के नाम दर्ज भूमि को वसीयतग्रहीतगण के नाम दर्ज कर दिया जावे।रामचन्द्र द्वारा दर्ज करवाये गये अपने वयानो मे उक्त तथ्यो की ताईद की तथा वसीयत प्रदर्श-1 पर C TO D अपने हस्ताक्षर होना जाहिर किया एंव वसीयत का अंतिम होना भी वर्णित किया।

वसीयत के अन्य गवाह शिवलाल पिता मदनलाल सैन(नाई) निवासी मण्डावरी द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर रामचन्द्र द्वारा अंकित किये गये तथ्यो की पुष्टि की ।वसीयत के गवाह शिवलाल ने अपने बयान दर्ज करवाये जिसमे वसीयत प्रदर्श -1 पर

तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूँ जिला-चित्तौडगढ

अपने हस्ताक्षर E TO F होना बताया तथा वसीयत पर मूलचन्द द्वारा उसके समक्ष अंगुठा निशानी किया जाना भी प्रमाणित किया । वसीयत की लिखी पढी तहसील परिसर मे किया जाना वसीयत अपनी सम्पुर्ण चल अचल सम्पति की किया जाना भी बताया।

वसीयतग्रहीता दौलतसिंह पिता भंवरलाल दरोगा निवासी मण्डावरी के भी बयान दर्ज किये गये अपने बयानो मे दौलतसिंह ने बताया कि वसीयत EX-1 मेरे द्वारा पेश किया गया है। मूलचन्द की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु प्रमाण पत्र EX.-2 है। मौजा मण्डावरी मे मूलचन्द के नाम की जमीन है उसकी वसीयतनामा EX-1 मेरे नाम पर व मेरे भाई के नाम पर लिखा पढी की थी। मूलचन्द के लडके भंवरलाल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मूलचन्द के लडके भंवरलाल के दो पुत्र मनोज एंव दौलतसिंह है तथा दो पुत्रियाँ जिनके नाम समता तथा मंजु है । मूलचन्द ने उनकी जिवितावस्था मे उनकी समस्त चल अचल सम्पति की जरिये वसीयत लिखापढी की थी हम दोनो भाई वसीयत अनुसार ही उनकी समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज है। वसीयतनामा X स्थान पर मूलचन्द की निशानी है। इस वसीयतनामा पर साख शिवलाल सेन ने दी जिसके हस्ताक्षर A TO B है तथा दुसरे गवाह रामचन्द्र जिनके हस्ताक्षर C TO D है। उक्त वसीयत की लिखा पढी तहसील परिसर मे की गईजिसको मूलचन्द ने नोटेरी से प्रमाणित करवाया था तथा मूलचन्द ने राजीखुशी से वसीयत लिखवाई थी जो सही एंव सत्य है। अतः वसीयत मे वर्णित भूमि का नामान्तरण हमारे पक्ष मे खोला जावे।

उक्त वसीयत के संबंध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जाँच हेतु भू अभिलेख निरिक्षक बेगूँ को भेजा गया उनके द्वारा बाद जाँच पर्चा मौका व जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार मूलचन्द की मृत्यु हो चुकी है। मूलचन्द द्वारा अपने पोतो के पक्ष मे नोटेरीशुदा वसीयत की थी। मूलचन्द की मृत्यु उपरान्त समस्त सामाजिक कार्यक्रम भी वसीयतग्रहीतागण द्वारा ही किये गये। वसीयतग्रहीता की उक्त भूमियो की देखरेख तथा कृपि कार्य भी वसीयतग्रहीता ही करते है। उक्त भूमियाँ पैतृक है।

उक्त वसीयत के संबंध मे आम सूचना प्रकाशित करवा कर सार्वजनिक स्थान उपखण्ड कार्यालय,तहसील कार्यालय,पंचायत समिति बेगूँ तथा ग्राम पंचायत मण्डावरी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा कर आपत्तियाँ आंमत्रित की गई। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुई ।

भू अभिलेख निरिक्षक बेगूँ की जाँच रिपोर्ट,पर्चा मौका ,नोटेरीशुदा वसीयत तथा अन्य दस्तावेजो व संबंधित पक्षकारो एँव गवाहो के शपथ पत्र व बयानो के आधार पर मृतक खातेदार मूलचन्द का स्वर्गवास होना , मूलचन्द द्वारा दौलतसिंह

तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़

मनोजकुमार के पक्ष मे नोटेरीशुदा वसीयत किया जाना,वसीयत का अंतिम होना प्रमाणित है। उक्त वसियत के आधार पर प्रार्थी गण मनोजकुमार दौलतसिंह के पक्ष मे नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध मे भी किसी प्रकार की आपत्ति भी निर्धारित अवधि मे प्राप्त नही हुई है। इस प्रकार वसियत नोटेरीशुदा होकर गवाहो के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर संदेह से परे प्रमाणित होने से वसियतकर्ता द्वारा वसियत की गई भूमि वसियतग्रहिता अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी पाया जाता है।

अतः मृतक खातेदार मूलचन्द पिता बालू दरोगा निवासी मण्डावरी की खातेदारी की कृषि आराजी मौजा मण्डावरी पटवार हल्का मण्डावरी की खाता संख्या 337 आ.न.322 रकबा 1.6680 हैक्टर आराजी न. 193/1389 रकबा 1.64 हैक्टर ,खाता संख्या 499 मे खसरा सं.1009 रकबा 0.0570 हैक्टर गै.मु.कुँआ इनके अलावा और भी कोई आराजियात जो मूलचन्द के नाम दर्ज है मे मूलचन्द के बजाय वसियतग्रहिता दौलतसिंह मनोजकुमार पिता भंवरलाल दरोगा निवासी मंडावरी तहसील बेगूँ के नाम नामान्तरण करने के आदेश दिये जाते है।निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।हल्का पटवारी को एक प्रति भेज पालना रिपोर्ट प्राप्त कि जावे। ।

(गोपाल जीनगर)
तहसीलदार बेगूँ